रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 1992/माघ 10, 1913

No. 48] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 1992/MAGHA 10, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1992

सा.का.नि. 72(अ) :—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियमावली, 1985 में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 1992 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियमावली, 1985 में नियम 6 में उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) अधिकरण में अपनी पदावधि की समाप्ति पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अपने नाम में जमा उपार्जित छुट्टी की बाबत छुट्टी सम्बलम के समतुल्य नकद प्राप्त करने का हकदार होगा परन्तु इस उपनियम और नियम 5 के उपनियम (2) के अधीन अधिकतम छुट्टी की मात्रा, जिसकी नकद रकम प्राप्त की गई है, अथवा पिछली सेवा से सेवानिवृत्ति के समय, जैसी भी स्थिति हो, एक साथ मिलाकर, किसी भी स्थिति में 240 दिनों से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 1992 के लागू होने की तारीख को पद पर कार्य कर रहे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के संबंध में यह उप नियम उसी रूप में लागू होगा जैसा इसके आरम्भ होने के पूर्व था।"

[संख्या ए.-11019/58/89-ए.टी.]

आर. रमणी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम दिनांक 10 अगस्त, 1985 की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 644(ई) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गए और तदनंतर निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किये गए:—

(i) संख्या सा.का.नि. 583(ई) दिनांक 18-6-1987

(ii) संख्या सा.का.नि. 9(ई) दिनांक 6-1-1988

(iii) संख्या सा.का.नि. 79(ई) दिनांक 4-2-1988

(iv) संख्या सा.का.नि. 324(ई) दिनांक 3-3-1988

(v) संख्या सा.का.नि. 120(ई) दिनांक 22-2-1989

(vi) संख्या सा.का.नि. 417(ई) दिनांक 31-3-1989

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 1992

G.S.R. 72(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, in rule 6, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely :—

"(3). On the expiry of the term of his office in the Tribunal, the Chairman, the Vice-Chairman or a Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit subject to the conditions that the maximum of leave encashed under this sub-rule or sub-rule (2) of rule 5 or at the time of retirement from previous service, as the case may be, or taken together shall not in any case exceed 240 days :

Provided that in respect of the Chairman, Vice-Chairmen and Members holding office on the date of commencement of the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 1992, this sub-rule shall be applied as it stood before such commencement."

[F. No. A-11019|58|89-AT]

R. RAMANI, Jt. Secy.

Footnote :—The Principal rules were published with Gazette of India vide notification No. G.S.R. 644(E) dated the 10th August, 1985 and subsequently amended vide notification —

(i) No. GSR 583(E) dated 18-6-1987.

(ii) No. GSR 9(E) dated 6-1-1988.

(iii) No. GSR 79(E) dated 4-2-1988.

(iv) No. GSR 324(E) dated 3-3-1988.

(v) No. GSR 120(E) dated 22-2-1989.

(vi) No. GSR 417(E) dated 31-3-1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992